न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : आर0के0 जैन
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 3333/2018/शिवपुरी/भू0रा0 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–5–2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर, संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 210/2016–17/अपील.

श्यामलाल पुत्र श्री बिन्दी
निवासी ग्राम बदनपुर तहसील पिछोर
जिला शिवपुरी म0प्र0
.....आवेदक

विरूद्ध

1. जहार सिंह पुत्र श्री बलचा
2. खलक सिंह पुत्र श्री बलचा
3. रामसिंह पुत्र श्री बलचा
निवासीगण चमरूआ तहसील खनियाधाना
जिला शिवपुरी म0प्र0
4. सखी पुत्री श्री बलचा पत्नी श्री जहार सिंह
निवासी ग्राम निगोदा तहसील खनियाधाना
जिला शिवपुरी म0प्र0
.....अनावेदकगण

श्री सी0एम0 गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री विनोद भार्गव, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::
(पारित दिनांक 17/05/19)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 21–5–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि आवेदक श्यामलाल द्वारा तहसीलदार पिछोर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम बदनपुर की भूमि कुल किता 19 रकवा 10.22 है0 में से भूमिस्वामी कोशिया पत्नी बलचा के हिस्से की भूमि पर वसीयत के आधार पर नामांतरण की मांग की गयी। तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 70/अ–6/13–14 में दिनांक 25–5–2015 को आदेश पारित कर वसीयत के आधार पर नामांतरण के आदेश दिये। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पिछोर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 15–2–2017 को अपील स्वीकार कर वारीसाना हक में नामांतरण के आदेश दिये। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 21–5–2018 अपील सारहीन होने से निरस्त की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक ने प्रश्नाधीन भूमि का वसीयत के आधार पर नामातरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जिसपर तहसीलदार ने वसीयत को सही पाते हुये वसीयत के आधार पर नामांतरण के आदेश दिये थे। तहसीलदार के समक्ष अनावेदकगण पक्षकार थे और उनको सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया था। विचारण न्यायालय में आवेदक की ओर से वसीयत की छायाप्रति प्रस्तुत की गई थी जिसे वसीयत के गवाहों के आधार पर सही पाया गया है और साक्ष्यों का अनावेदकगणों की ओर से प्रतिपरीक्षण भी किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेशों के परिसीलन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा मूल वसीयत विचारण

2/4

न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होने एवं वसीयत संदेह से परे सिद्ध नहीं करने के कारण विचारण न्यायालय के नामांतरण आदेश को निरस्त किया है, जबकि विचारण न्यायालय में गवाहों से वसीयत को प्रमाणित किया गया है। अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी ने उनके समक्ष अपील प्रचलित रहने के दौरान आवेदक को मूल वसीयत प्रस्तुत करने हेतु कभी आदेशित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में यह मानना उचित नहीं है कि मूल वसीयत प्रस्तुत नहीं की गई इसलिए वसीयत को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। यदि दोनों अपीलीय न्यायालय में मूल वसीयत प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता और आवेदक द्वारा मूल वसीयत प्रस्तुत नहीं की जाती तब वसीयत को संदेहास्पद माना जा सकता था। अनुविभागीय अधिकारी ने वसीयत को संदेह से परे सिद्ध नहीं होने का लेख अपने आदेश में किया है किन्तु वसीयत क्यों संदेहास्पद है इस संबंध में कोई निष्कर्ष अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये निष्कर्ष को उचित नहीं माना जा सकता। आवेदक द्वारा इस न्यायालय में मूल वसीयत प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अब मूल वसीयत को साक्षियों से सिद्ध किया जाना आवश्यक है। साक्ष्य ग्रहण करने के अधिकारिता म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में अपीलीय न्यायालय को प्रदान की गई है। संहिता की धारा 44 ई(4) के अनुसार– अपीलीय न्यायालय ऐसी अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा जैसा कि आदेश पारित करने के लिए आवश्यक समझे। इस प्रकरण में अब मूल वसीयत प्रस्तुत की जा चुकी है और उक्त वसीयत पर साक्ष्य लेने एवं उन पर प्रतिपरीक्षण के उपरांत समुचित आदेश लिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–5–2018 एवं अनुविभागीय अधिकारी पिछोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–2–2017 निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी पिछोर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि मूल

3/4

वसीयत का परीक्षण करें, साक्ष्य लेने एवं उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत नामांतरण नियमों के अनरूप अधिकतम तीन माह में अंतिम आदेश पारित करें। तब तक उभय पक्ष प्रश्नाधीन भूमि का विकय नहीं करेंगे एवं मौके पर आज की तिथि में यथास्थिति (Status quo as on today) बनाये रखेंगे।

5/ आवेदक अभिभाषक को वसीयत दिनांक 19–6–2014 की मूल प्रति वापिस की जाये। उभय पक्ष दिनांक 30–5–2019 को अनुविभागीय अधिकारी पिछोर के न्यायालय में उपस्थित हों।

4/4

(आर0के0 जैन)
सदस्य 17/5/19
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर